न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी:— राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 106/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2024/

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.पेपसिंह पुत्र गजेसिंह 2.भारतसिंह पुत्र गजेसिंह 3.भीमसिंह पुत्र गजेसिंह 4.शैतानसिंह पुत्र गजेसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.किशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह 2.चनणीदेवी पत्नी चैनसिंह 3.चन्दो पत्नी भूरसिंह के वारिसान 3/1.देवीसिंह पुत्र भूरसिंह 3/2.धनसिंह पुत्र भूरसिह 4.देवीसिंह पुत्र भूरसिंह 5.धनसिंह पुत्र भूरसिंह 6.नखतसिंह पुत्र चैनसिंह 7.रेवतसिंह पुत्र चैनसिंह 8.रावलसिंह पुच चैनसिंह प्रतिवादी संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 02 चनणीदेवी पत्नी चैनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

<u>राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति—

1. श्री थानसिंह राजपुरोहित,अधिवक्ता
2. प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से ... तह... द्वारा पचपदरा
3. प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एकतरफा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

:–निर्णय:–

दिनांक 05.7.2024

1.संक्षिप्त में वाद–पत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि ग्राम खारड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 406,407,409,410,514,530,532,534,586 कुल क्षेत्रफल 14.1006 हैक्टयर भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी में अवस्थित है। वादीगण भूमि में वादीगण के पिता गजेसिंह का अशुद्व नाम दायर हो रखा है,जबकि वादीगण के पिता का वास्तविक नाम गजेसिंह है। अशुद्व प्रविष्टि के कारण वादीगण को किसी भी प्रकार की सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिल रहा है। अतः वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि में दायर अशुद्व प्रविष्टि विजयसिंह पुत्र मुकन के स्थान पर सही प्रविष्टि गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह इन्द्राज करवानें हेतु वाद–पत्र पेश किया गया है।

2.वादीगण का वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की ओर से वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर वादीगण के वाद को स्वीकार किए जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया।

3.उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीगण अधिवक्ता ने वाद–पत्र के तथ्यों को दोहरातें हुए बहस में निवेदन किया कि वादीगण की सहखातेदारी भूमि ग्राम खारड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 406,407,409,410,514,530,532,534,586 कुल क्षेत्रफल 14.1006 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा निहित है। वादीगण का अपने हिस्सेनुसार मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के पिता का देहान्त हो गया है,लेकिन अशुद्व नाम होने के कारण नामान्तकरण भरवाया नहीं जा रहा है। वादीगण के पिता का वास्तविक नाम गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता का नाम भूलवंश गजेसिंह के स्थान पर विजयसिंह इन्द्राज हो रखा है। जबकि अन्य खातेदारी खेत में वादीगण के पिता का सही नाम गजेसिंह है,लेकिन वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता का अशुद्व नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का परिलाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता का वास्तविक नाम गजेसिंह के स्थान पर गलत नाम इन्द्राज होने के कारण वादीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है। अतः वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि में अशुद्व नाम विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह के स्थान पर गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह इन्द्राज किए जाने के आदेश किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:19 IST
Reason: SelfAttested

4.प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से राज.पैरोकार ने दौरान बहस [illegible]न किया कि वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त किया जाता है,तो आपत्ति नहीं है।

5.हमनें उभयपक्ष की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड व दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम खारड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 406,407,409,410,514,530,532,534,586 कुल क्षेत्रफल 14.1006 हैक्टयर

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि वादीगण के पिता व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 की संयुक्त खातेदारी में अंकित है। वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता के नाम की प्रविष्टि विजयसिंह पुत्र मुकन इन्द्राज हो रखी है। जबकि पत्रावली के संलग्न जमाबंदी ग्राम राजपुरा तहसील कल्याणपुर की खसरा संख्या 267 व 269 कुल क्षेत्रफल 13.2413 हैक्टयर भूमि वादीगण की खातेदारी में अंकित है,जिसमें वादीगण के पिता का नाम गजेसिंह दर्ज है। इसी प्रकार अन्य संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम खारड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 498 क्षेत्रफल 11.8623 हैक्टयर भूमि में वादीगण के पिता गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह इन्द्राज है। इससे साबित होता है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के पिता का नाम अशुद्ध दर्ज हो रखा है,जो कि दुरूस्ती करवाने के हकदार प्रतीत होते है। वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य में आधार कार्ड प्रति,जन आधार कार्ड प्रति,आयकर पेन कार्ड प्रति व वोटर कार्ड प्रति में वादीगण के पिता का नाम गजेसिंह अंकन है। वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश किया गया,जिसमें स्वीकार किया कि वादीगण के पिता का वादग्रस्त भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है। जबकि वास्तविक सही नाम गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह है। वादीगण के पिता का सही नाम गजेसिंह दुरूस्त किया जाता है,तो प्रतिवादी को आपति नहीं है। वादीगण अपना वाद–पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित करने में बखूबी सफल रहा है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार योग्य है।

05.उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है,कि वादीगण वादग्रस्त भूमि में अपने पिता का अशुद्ध नाम विजयसिंह पुत्र मुकनसिंह के स्थान पर गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह दुरूस्त करवानें के हकदार है। ऐसी सूरत में वादीगण का वाद–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत होता है।

–:निर्णयः–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः वाद–पत्र वादीगण अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति साबित होनें एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–खारड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 406, 407, 409, 410, 514, 530,532,534,586 कुल क्षेत्रफल 14.1006 हैक्टयर भूमि में वादीगण के पिता का अशुद्ध नाम प्रविष्टि विजयसिंह पुत्र मुकन के स्थान पर गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह दुरूस्त किए जाने के आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:19 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 05.7.24 को [illegible]

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

डिक्री–पर्चा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः– राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 106/20234

जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024/

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1.पेपसिंह पुत्र गजेसिंह 2.भारतसिंह पुत्र गजेसिंह 3.भीमसिंह पुत्र गजेसिंह 4.शैतानसिंह पुत्र गजेसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.किशनसिंह पुत्र प्रतापसिंह 2.चनणीदेवी पत्नी चैनसिंह 3.चन्दो पत्नी भूरसिंह के वारिसान 3/1.देवीसिंह पुत्र भूरसिंह 3/2.धनसिंह पुत्र भूरसिंह 4.देवीसिंह पुत्र भूरसिंह 5.धनसिंह पुत्र भूरसिंह 6.नखतसिंह पुत्र चैनसिंह 7.रेवतसिंह पुत्र चैनसिंह 8.रावलसिंह पुच चैनसिंह प्रतिवादी संख्या 6 से 8 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता प्रतिवादी संख्या 02 चनणीदेवी पत्नी चैनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी खारड़ी तहसील पचपदरा 9.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) * बालोतरा *

राजस्व वाद बाबतः–88 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक :–05.7.2024

वादीगण की ओर से श्री थानसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या 01 से 08 एकतरफा एवं प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से नायब तहसीलदार पचपदरा की उपस्थिति इस वाद में आज तारीख 05.07.2024 को श्री राजेश कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के [illegible] अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादीगण द्वारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली भांति [illegible] होने के कारण वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम–खारड़ी तहसील पचप[illegible] की खसरा संख्या 406, 407, 409, 410, 514, 530,532,534,586 कुल क्षेत्रफल 14.1006 हैक्टयर भूमि में वादीगण के पिता का अशुद्ध नाम प्रविष्टि विजयसिंह पुत्र मुकन के स्थान पर गजेसिंह पुत्र मुकनसिंह दुरूस्त किए जाने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

आदेश दिए जातें है,शेष बदूस्तर रहेंगा। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है,कि तदनुसार राजस्व रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

यह आज तारीख 05.07..2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(राजेश कुमार)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2.अर्जी के लिए स्टाम्प	
3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3.प्लीडर की फीस	
4..........रूपये पर प्लीडर की फीस		4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	———
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय		5.आदेशिका की तामील	
6.कमिश्नर की फीस	–	6.कमिश्नर की फीस	
7.आदेशिका की तामिल			
जोड़	–	जोड़	———

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:52:19 IST
Reason: SelfAttested